न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./125/2022/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. पाताराम पुत्र मिसराराम 2. भीमाराम पुत्र मिसराराम 3. विशनाराम पुत्र मिसराराम जाति माली निवासी भीमगोड़ा वाया कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. जवराराम पुत्र दलाराम 2. विशनाराम पुत्र गणेशजी जाति पुरोहित 3. चन्दनाराम पुत्र गोकिया 4. दौलाराम पुत्र गोकिया 5. वचनाराम पुत्र गोकिया 6. हेमाराम पुत्र गोकिया जाति सुथार निवासी भीमगोड़ा वाया कुसीप तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 91/2020 बअनवान जबराराम बनाम चन्दनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 02 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि अपीलांटस के खातेदारी खेत खसरा संख्या 965 रकबा 1.0198 हैक्टयर, खसरा संख्या 964 रकबा 1.0683 हैक्टयर व रेस्पोडेंट संख्या 03 ता 06 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1414/962 रकबा 2.1853 हैक्टयर, में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 961 रकबा 5.9651 हैक्टयर तक आने जाने एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

किया जावें, प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत के नजदीकी रास्ता इसलिए रास्ते के रूप में प्रयुक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश में प्रार्थीगण को उपलब्ध कराये गये रास्ते की लम्बाई करीब 1152 फीट है, किन्तु प्रार्थीगण के पास आवागमन का वैकल्पिक रास्ता भूमि खसरा संख्या 961 के वदिशा पश्चिम में खसरा संख्या 970 में से उपलब्ध है, जिसकी लम्बाई मात्र 490 फीट है, जिसे तहसीलदार सिवाना ने अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शाया गया है, अलावा इसके विधिनुसार प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ता निकटतम दुरी का उपलब्ध करवाये जाने आज्ञापक प्रावधान प्रावधित है, किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो स्वयं ने मौके पर जाये बिना हल्का पटवारी एवं आर आई ने बिना अपीलांटस को सूचित किये एवं मौके पर न जाकर पटवार हल्का कुसीप में बैठ कर उतरदाता से सांठ–गांठ कर मौका रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जिस पर अपीलांटगण की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली मौका फर्द 08.01.2022 के संलग्न नक्शे में प्रदर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया जिसमें खसरा संख्या 1414/962 व खसरा संख्या 1415/962 के खातेदारों ने लोक अदालत की भवना से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र पेश कर रास्ता निकालने की सहमति प्रदान की। हस्तगत प्रकरण में मातहत अदालत द्वारा प्रस्तावित रास्ता 472 फीट दूरी का है। खसरा संख्या 970 में से रास्ते के विकल्प की दूरी 490 फीट है जो प्रस्तावित रास्ते से अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उसके उपरांत भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 91/2020 बअनवान जवराराम बनाम चन्दनाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिपाल सिंह भाटी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर